महाप्रबंधक / श.वृ. / कय / 2022 / 10884

भोपाल दिनांक 16.03.2022

प्रति,

.....

.....

.....

विषय :– छोला जोन, शहर संभाग उत्तर भोपाल के आरिफ नगर 11 के.व्ही फीडर एवं कॉजी कैम्प 11 के.व्ही फीडर पर विद्युत हानियों के नियंत्रण एवं राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने हेतु व्यक्ति / एंजेन्सी / संस्था के चयन हेतु आवेदन।

महाप्रबंधक (श.वृ.) कार्यालय भोपाल से आवेदन प्राप्त करने की तिथि एवं समय :– **17.03.2022 से 30.03.2022 दोपहर 1:00 बजे तक**

महाप्रबंधक (श.वृ.) कार्यालय भोपाल में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं समय :– **30.03.2022 दोपहर 2:00 बजे तक**

लाटरी द्वारा ड्रॉ खुलने की तिथि एवं समय :– **30.03.2022 दोपहर 3 बजे**

योजना का नामः– विद्युत प्रहरी योजना

विद्युत प्रहरी के आवेदन की प्रकियाः–

- विद्युत प्रहरी के लिए इच्छुक व्यक्ति / एजेंसी को महाप्रबंधक (शहर वृत्त) भोपाल, के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। प्रत्येक फीडर के लिए पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा एवं पृथक–पृथक ईएमडी राशि भी जमा करनी होगी।
- निर्धारित आवेदन पत्र में स्व–प्रमाणित फोटोग्राफ, भागीदारी फर्म होने की दशा में उसका पंजीयन, आयकर विभाग का पैन नं., बैक का खाता नं., प्रस्तुत करना होगा। (छायाप्रति भी संलग्न करना होगा)
- आवेदन पत्र में वांछित जानकारी तथा उसके संलग्न अभिलेखों के साथ–साथ आवेदक को रु. 5000 / – की वापसी योग्य ईएमडी भी जमा करनी होगी। यह राशि लेखाधिकारी (शहर वृत्त) म.प्र.म.क्षे.वि. वि.कं.लिमि. भोपाल, के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।
- आवेदन पत्र जमा करते समय महाप्रबंधक (शहर वृत्त) भोपाल, कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी उपमहाप्रबंधक (शहर वृत्त) भोपाल के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रुप से भरा गया है एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक जैसे– डिमाण्ड ड्राफ्ट, फोटो, इत्यादि लगे हुए हैं। साथ ही अन्य प्रमाण पत्रों जैसे पंजीयन, आधार कार्ड आदि की छायाप्रति भी संलग्न है।
- आवेदन पत्र का परीक्षण सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी आवेदक के आवेदन पत्र में संलग्न पावती भाग–दो हस्ताक्षर कर आवेदक को सौंपेगा।

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

- आवेदन पत्र पूर्ण रुप से सही होने पर स्वीकार किया जायेगा।
- आवेदन पत्र की पावती ही लॉटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रुप में प्रयुक्त की जा सकेगी।
- इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसका निराकरण मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे.) क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा किया जायेगा।

विद्युत प्रहरी के चयन हेतु सार्वजनिक लॉटरी की प्रकियाः–

- विद्युत प्रहरी के चयन हेतु सार्वजनिक लॉटरी की प्रकिया पूर्व से निर्धारित स्थल पर दिनांक 30.03.2022 को निर्धारित समय पर आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष लॉटरी के माध्यम से की जायेगी।
- लॉटरी खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।
- जिन आवेदकों ने विद्युत प्रहरी के चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें लॉटरी हॉल में आने का अवसर दिया जायेगा। लॉटरी निकाले जाने संबंधी कार्यवाही इस प्रकार संपादित की जायेगी कि कक्ष में उपस्थित सभी व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भलि–भॉति देख सके, जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
- लॉटरी संबंधी समस्त कार्यवाही महाप्रबंधक (शहर वृत्त) भोपाल, की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में की जायेगी। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगेः–

1. महाप्रबंधक (शहर वृत्त) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।
2. उप महाप्रबंधक (शहर वृत्त) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल ।
3. उप महाप्रबंधक (एसटीएम) शहर वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।
4. उप महाप्रबंधक (एसटीसी) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।
5. लेखाधिकारी (शहर वृत्त) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।

- आवेदक द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों के भाग–तीन को सार्वजनिक रुप से उपस्थित आवेदकों को दिखाकर तथा विधिवत मोड़कर लॉटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाला जायेगा कि सभी उपस्थित आवेदक आश्वस्त हो सकें, कि उनके आवेदन से संबंधित भाग–तीन पात्र में डाल दिया गया है एवं पात्र में उसके पहले कोई पर्ची नहीं पड़ी थी। पात्र का आकार पर्चियों की संख्या के अनुरुप पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि उस में डाली गई पर्चियों को हिला–डुला कर विधिवत मिश्रित किया जा सके।
- महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल द्वारा अधिकृत अधिकारी सभी आवेदकों की पर्ची को पात्र में डालकर पहले अच्छी तरह से हिला लेंगे। तत्–पश्चात् किसी एक आवेदक से एक पर्ची निकलवाएँगे। जिस आवेदक की पर्ची निकालेंगे उसे सार्वजनिक रुप से दिखाये जाने के साथ ही उसके नाम की घोषणा की जायेगी। पहले चयनित आवेदक के नाम की घोषणा के बाद उसी कार्य के लिए एक अन्य पर्ची भी निकाली जायेगी। जोकि दूसरे आवेदक के नाम का चयन करेगी।
- लॉटरी में चयनित व्यक्ति की पर्ची पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिसे एक पंजी (रजिस्टर) पर अंकित कर पंजी (रजिस्टर) पर चयनित आवेदक के भी यथा संभव हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

- आवेदक को मौके पर ही इस आशय का पत्र जारी किया जायेगा कि अमुक कार्य के लिए लॉटरी उसके नाम से निकली है। निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि जमा नहीं करने की स्थिति में दूसरे चयनित व्यक्ति को घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित अवधि में सुरक्षा निधि जमा करने हेतु अवसर दिया जायेगा एवं प्रथम चयनित व्यक्ति को शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में विद्युत प्रहरी योजना से पृथक कर दिया जायेगा। साथ ही जमा की गई ईएमडी राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- जिस व्यक्ति/एजेंसी को विद्युत प्रहरी घोषित किया जायेगा उसे 15 दिवस के भीतर बेसलाईन वर्ष के औसत मासिक नगद राजस्व संग्रहण के 25 प्रतिशत की राशि सुरक्षा निधि के रुप में जमा करना होगी। इसमें ईएमडी राशि का समायोजन करने की अनुमति होगी।

<u>योजना का कियान्वयनः-</u>

- योजना कियान्वयन के पूर्व महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित एजेंसी के द्वारा योजना के प्रावधानों के तहत् आवश्यक सुरक्षा निधि एवं दस्तावेज जमा कर दिये गये हैं।
- चयनित एजेंसी के प्रतिनिधि एवं 11 के.व्ही. फीडर के प्रभारी अधिकारी साथ–साथ संबंधित फीडर का सर्वे करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इस फीडर से किसी अन्य क्षेत्र का फीडर नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा पाये जाने पर उस स्थान पर मीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे अन्यथा ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि अन्य फीडर पर विद्युत प्रदाय नहीं हो सके एवं दूसरे फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त भी नहीं किया जा सके। सर्वे के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित फीडर से संबंधित सभी उपभोक्ता इस फीडर से संयोजित हैं एवं कोई अन्य उपभोक्ता फीडर से संयोजित पाया जाता है तो तद्नुसार चयनित फीडर के डाटा बेस में भी आवश्यक सुधार किया जाएगा।
- चयनित प्रतिनिधि/एजेंसी के कर्मचारी/अधिकारियों को योजना के कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- चयनित एजेंसी के प्रतिनिधि एवं फीडर प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित फीडर से ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है।
- फीडर प्रभारी चयनित एजेंसी को ट्रांसफार्मरवार उपभोक्ताओं की सूची, कनेक्शन कं., श्रेणी, बकाया राशि, आदि का विवरण उपलब्ध करायेंगे।
- उपमहाप्रबंधक (एसटीएम) शहर वृत्त भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित फीडर पर लगा हुआ मीटर एवं मीटरिंग इक्यूपमेंट सही कार्य कर रहा है एवं उसे सही ढंग से सील किया गया है। यदि मीटर बाक्स में टीटीबी (टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक) लगाया गया है तो उसे भी सही ढंग से सील किया गया है। चयनित एजेंसी को मीटर की प्रारंभिक रीडिंग एवं गुणांक की सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाना चाहिए एवं प्रतिदिन निश्चित समय पर मीटर रीडिंग प्राप्त कर उसे दर्ज करना चाहिए। प्रतिदिन की रीडिंग की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा चयनित एजेंसी को भी दी जाए। सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिस पर फीडर में दर्ज प्रतिदिन की खपत, प्रतिदिन का राजस्व संग्रहण तथा माह के दौरान कुल खपत, कुल राजस्व संग्रहण की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी।
- चूँकि शहरी क्षेत्रों में संयोजित कनेक्शनों की स्पाट बिलिंग प्रारंभ हो चुकी है, अतः कंपनी द्वारा विकसित किये जा रहे पोर्टल पर उपभोक्ताओं को जारी किए जा रहे बिलों की त्वरित जानकारी भी उपलब्ध रहेगी ताकि संबंधित उपभोक्ताओं से राशि संग्रहण की कार्यवाही की जा सके।

उपमहाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

- व्यक्ति/एजेंसी/संस्था के पास इंटरनेट सुविधा युक्त एंड्रायड स्मार्ट फोन अथवा एवं कम्प्यूटर के साथ–साथ रसीद प्रिंट करने हेतु ब्लूटूथ प्रिंटर या डेस्कटॉप प्रिंटर होना चाहिए। ब्लूटूथ प्रिंटर को कंपनी के पोर्टल से सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा इंटीगरेट किया जाएगा। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.भोपाल के पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति/एजेंसी/संस्था के नाम पर एक लॉगइन आईडी बनाई जायेगी, जिसका पासवर्ड पंजीकृत व्यक्ति के नाम से ही होगा। आवश्यकतानुसार समय–समय पर पासवर्ड बदला भी जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकृत व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के द्वारा उपभोक्ता के विद्युत बिल का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। राशि भुगतान होने के पश्चात् प्रणाली जनित पावती प्रदर्शित होगी जिसे प्रिंट कर उपभोक्ता को दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाईल पर कंपनी के द्वारा राशि प्राप्त होने से संबंधित को एसएमएस भी प्रेषित किया जाएगा।
- भुगतान के लिए पे–टीएम एवं बिल डेस्क पेमेंट गेटवे के रुप में विकल्प उपलब्ध है, जिसमें से किसी एक विकल्प का चयन कर यूपीआई, केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैकिंग आदि में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई एवं रुपे कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का लेन–देन प्रभार नहीं लगेगा। केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं इंटरनेट बैकिंग के द्वारा राशि भुगतान करने पर नियमानुसार लेन–देन प्रभार देय होगा। भविष्य में यदि शासन द्वारा कोई प्रभार जोड़ा जाता है तो वह संबंधित व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को देय होगा। ए.टी.पी. मशीन एम.पी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से भी उपभोक्ता बिल का भुगतान कर सकता है।
- चयनित फीडर के उपभोक्ताओं से कंपनी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा बिल की राशि संग्रहित नहीं की जाएगी। जले मीटर की कीमत, नवीन कनेक्शन, की राशि कंपनी के द्वारा जमा की जाएगी।
- इस पोर्टल पर बिल पेमेंट हिस्ट्री भी उपलब्ध है। जिसके अंतर्गत पूर्व में जमा किये गये विद्युत बिलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- चयनित एजेंसी को विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने एवं अवैध हुकिंग को हटाने के लिए आवश्यकतानुसार विद्युत लाईन का परमिट दिया जायेगा। प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खम्बे पर चढ़कर कार्य करने वाले कर्मचारी इस कार्य के लिए सक्षम हैं एवं उन्हें ओवरहेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर नियोजित किया गया है। विद्युत प्रवाह बंद रहने की अवधि का संधारण पृथक से किया जाएगा एवं एजेंसी को भी अवगत कराया जाएगा। इस अवधि का उपयोग माह के अंत में एजेंसी को दी जाने वाली राशि की गणना हेतु किया जाएगा।
- चयनित एजेंसी को बकायेदार उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन काटने एवं राजस्व संग्रहण के लिए यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- चयनित एजेंसी के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार विजिलेंस प्रकरण तैयार किया जाएगा।
- पूर्व की भाति उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग लेना, बिल जारी करना, नये सर्विस कनेक्शन प्रदान करना, लाईन एवं ट्रांसफार्मर का रखरखाव एवं एफओसी कार्य कंपनी कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण किये जायेंगे।
- कार्य के दौरान समस्त प्रकार के विवाद/अप्रिय स्थिति के निराकरण एवं नियमानुसार प्रथम सूचना दर्ज करने की जिम्मेदारी अनुबंधित विद्युत प्रहरी/व्यक्ति/एजेंसी की होगी।
- कार्य में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री (प्लास, पेचकस, सीढी एवं दस्ताने इत्यादि) की व्यवस्था एवं नियमानुसार उपयोग की जिम्मेदारी अनुबंधित विद्युत प्रहरी/व्यक्ति/एजेंसी की होगी।

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

- अनुबंधित एवं कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घातक/अघातक दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी एवं सामान इत्यादि की पूर्ण भुगतान राशि (सहायता, बीमा एवं कम्पनशेसन इत्यादि राशि) प्रदान करने की जिम्मेदारी अनुबंधित विद्युत प्रहरी/व्यक्ति/एजेंसी की होगी।

योजना की मॉनिटिरिंगः–

- सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिस पर फीडर में दर्ज प्रतिदिन की खपत, प्रतिदिन का राजस्व संग्रहण तथा माह के दौरान कुल खपत, कुल राजस्व संग्रहण की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी। स्पाट बिलिंग के द्वारा जारी किए जा रहे विद्युत बिलों की रियल टाइम जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।
- माह के दौरान प्रदान किये गये नवीन कनेक्शन, भार वृद्धि एवं विजिलेंस प्रकरणों की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी।
- माह की अंतिम दिनांक की फीडर मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार कुल खपत की गणना की जायेगी। इसी प्रकार माह मे दौरान प्राप्त कुल राजस्व संग्रहण जिसमें आनलाईन, एटीपी, चयनित एजेंसी के माध्यम से प्राप्त राजस्व की गणना की जायेगी। यूनिट खपत एवं राजस्व संग्रहण की गणना समान समयावधि के लिए की जाएगी।
- उपरोक्त खपत, राजस्व एवं विद्युत प्रवाह बंद रहने की अवधि की गणना के अनुसार योजना के प्रावधानों के तहत् चयनित एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान का आकलन किया जायेगा। इस आकलन के आधार पर तैयार किया गया देयक चयनित एजेंसी एवं प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपमहाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। उपमहाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल को देयक की जांच कर, सत्यापित कर, पास आर्डर लगाकर भुगतान हेतु शहर वृत्त भोपाल के लेखाधिकारी को प्रेषित करेगा।
- शहर वृत्त भोपाल के लेखाधिकारी के द्वारा देयक की जांच कर एजेंसी को भुगतान किया जायेगा।
- संभाग के उपमहाप्रबंधक योजना के कियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे।

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

भाग–एक

विद्युत प्रहरी योजना के अंतर्गत व्यक्ति/एजेंसी/संस्था के चयन हेतु विस्तृत जानकारीः–

आवेदित फीडर का नाम .....

आवेदक का नाम .....

स्वप्रमाणित फोटो

आवेदक के पिता/पति का नाम .....

उम्र ..... लिंग ..... जन्मतिथि .....

शैक्षणिक योग्यता ..... तकनीकी योग्यता .....

मोबाइल नं ..... ई–मेल .....

निवास का स्थाई पता .....

पत्राचार हेतु आवेदक का पता .....

आवेदक यदि, फर्म है तों;–

फर्म का नाम .....

पता .....

प्रोपराईटर/ का नाम .....

पत्राचार हेतु पता .....

अन्य विवरणः–

आवेदक भारतीय नागरिक हैः ..... हॉ/नहीं

आवेदक का जीएसटी नं .....

आवेदक का पैन नं .....

आवेदक का आधार कार्ड नं .....

जमा खाता बैंक का नाम .....

खाता नं .....

आईएफएससी कोड नं .....

अनुभव .....

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. एवं कपंनी की अनुबंधित बाह्य स्त्रोत एजेंसी में कार्यरत है। हॉ या नहीं

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

ईएमडी राशि रु 5000/– जमा करने हेतु बैंक ड्राफ्ट का विवरणः–

डी.डी. नं .....

राशि .....

बैंक का नाम .....

हस्ताक्षर

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

"घोषणा"

मैं .....उम्र.....निवासी.....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं। मैंने विद्युत प्रहरी योजना का पूर्ण अध्ययन कर लिया है एवं मैं विद्युत प्रहरी योजना में निहित शर्तों एवं नियमों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमति देता/देती हूँ।

दिनांकः–

स्थानः–

हस्ताक्षर

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

भाग–दो

आवेदन–पत्र प्राप्ति रसीद

(यही लॉटरी पंडाल/स्थल में प्रवेश हेतु अनुमति–पत्र होगा)

स्वप्रमाणित फोटो

आवेदन–पत्र क्रं. .....

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
.....

निवासी..... आवेदक के हस्ताक्षर.
.....

फीडर का नाम.....
.....

हेतु आवेदन–पत्र, धरोहर राशि/घोषणा पत्र व आवेदक की व्यक्तिगत पहचान एवं निवास के प्रमाण संबंधी अभिलेख के साथ प्राप्त किया,

जिसे रजिस्टर के क्रमांक..... पर दर्ज किया गया।

कार्यालयीन सील

दिनांक.....

समय.....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

भाग–तीन

लॉटरी निकालने के लिये पर्ची

आवेदन –पत्र कं.....

आवेदित फीडर का नाम.....

आवेदक का नाम..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

(केवल चयनित आवेदकों की पर्ची पर हस्ताक्षर किया जाये)

लेखाधिकारी (शहर वृत्त)	उप महाप्रबंधक (एसटीसी)	उप महाप्रबंधक (एसटीएम)	उप महाप्रबंधक (शहर वृत्त)	महाप्रबंधक (शहर वृत्त)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल

उप महाप्रबंधक
शहर वृत्त, भोपाल
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.

Scanned with CamScanner

VIDHYUT PRAHARI YOJNA City Circle Bhopal DATA

	Name of S/s	Old chhola			Name of 11 KV Feeder		Arif Nagar			Name of Circle		City Circle BHOPAL DATA	
Sl No	MONTH	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
1	INPUT (LU)	6.30	7.50	8.63	9.50	10.14	9.09	9.90	9.17	9.52	9.28	7.95	9.16
2	Collection (Lacs)	9.95	6.54	8.63	1.51	13.61	1.58	3.82	10.12	6.56	4.74	12.14	3.91

	Name of S/s	Old chhola			Name of 11 KV Feeder		Quazi Camp			Name of Circle		City Circle BHOPAL DATA	
Sl No	MONTH	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
1	INPUT (LU)	8.51	7.27	8.61	9.78	10.50	9.64	10.29	9.02	9.40	9.29	7.51	8.56
2	Collection (Lacs)	6.00	10.80	6.70	8.70	8.60	15.70	16.30	12.00	15.60	12.50	14.50	11.70

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 6311 /2021/तीस/08 भोपाल,दिनांक 5 AUG 2021

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषयः—स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से हानि नियंत्रण एवं नगद राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु "विद्युत प्रहरी योजना" लागू करने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई, 2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में, अत्यधिक हानि वाले क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता से हानि में कमी तथा राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभाग द्वारा "विद्युत प्रहरी योजना" तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया। योजना की प्रति संलग्न प्रेषित है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से हानियों पर नियंत्रण एवं नगद राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना है। यह योजना प्रथमतः पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में, एक वर्ष की अवधि हेतु भिण्ड, मुरैना, आगर, शाजापुर, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिला मुख्यालयों के ऐसे फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर के समूह में लागू की जाना है, जिनमें हानि 60 प्रतिशत से अधिक हो एवं शासकीय कनेक्शन कम हों। भविष्य में इस योजना का विस्तार सभी वितरण कंपनियों के क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

3/ निर्देशानुसार, उपरोक्त योजना शीघ्र लागू किये जाने का कृपया अनुरोध है। योजना को लागू करने से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कर, तत्संबंध में मासिक रूप से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का भी कृपया अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

5/8/2021
(नीरज अग्रवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्रशासन ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 6312 /2021/तीस/08 भोपाल,दिनांक 5 AUG 2021

प्रतिलिपि :

प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

5/8/2021
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग

Scanned with CamScanner

"विद्युत प्रहरी" योजना

मध्यप्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में विद्युत वितरण का कार्य किया जा रहा है। विगत वर्षों में हानि नियंत्रण एवं नकद राजस्व संग्रहण में वृद्धि के कई प्रयास किए जाने के बाद भी कंपनियों के समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में अपेक्षानुसार कमी नहीं आ पाई है। अतः विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अत्याधिक हानि वाले क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से हानि नियंत्रण एवं नकद राजस्व संग्रहण करना प्रस्तावित है।

1. **योजना का नाम एवं विस्तार :-**

1.1 यह योजना 'विद्युत प्रहरी योजना' कहलाएगी।

1.2 यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु प्रदेश के भिंड, मुरैना, आगर, शाजापुर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के ऐसे फीडरों / वितरण ट्रांसफार्मरों के समूह में लागू किया जाना प्रस्तावित, जिनमें हानि का प्रतिशत 60% से अधिक हो एवं वाणिज्यिक कनेक्शन की संख्या कम हो।

1.3 योजना का विस्तार सभी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य क्षेत्र में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

1.4 यह योजना कंपनी द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होगी एवं तब तक प्रभावशील रहेगी, जब तक कंपनी द्वारा उसे समाप्त या परिवर्तित न किया जावे।

2. **योजना का उद्देश्य :-**

स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से हानि में कमी एवं नकद राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना।

3. **योजना का स्वरूप :-**

कंपनी क्षेत्रांतर्गत कतिपय स्थानों की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य एन्फोर्समेंट / विजिलेन्स के अतिरिक्त विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। अतः व्यापक स्तर पर सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु इन चिन्हित स्थानों में स्थानीय व्यक्तियों को "विद्युत प्रहरी" नियुक्त करने हेतु निर्णय लिया गया है। विद्युत प्रहरी सामुदायिक दबाव बनाकर एवं स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सजगता के माध्यम से विद्युत हानि में कमी एवं नकद राजस्व संग्रहण में वृद्धि करेंगे। इन गतिविधियों से कंपनी को होने वाले अतिरिक्त बचत का एक अंश विद्युत प्रहरी के साथ साझा किया जाएगा।

4. **विद्युत प्रहरी के चयन हेतु प्रक्रिया :-**

4.1 विद्युत प्रहरी की चयन प्रक्रिया: विद्युत प्रहरी हेतु व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/स्व-सहायता समूह (एजेंसी) के चयन हेतु चिन्हित फीडर/ डीटीआर समूह हेतु उन जिलों के निवासी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

4.2 आवेदन पत्र के साथ एजेंसी को 5000 रुपये की वापसी योग्य ईएमडी भी जमा करनी होगी।

4.3 एजेंसी का चयन निर्धारित स्थान एवं समय पर सार्वजनिक रूप से पारदर्शी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

4.4 चयनित एजेंसी को 15 दिवस के भीतर बैस्लाइन वर्ष के औसत मासिक नकद राजस्व संग्रहण के 25% प्रतिशत (यदि एजेंसी फीडर स्तर पर काम कर रही है) / 50% प्रतिशत (यदि एजेंसी डीटीआर समूह स्तर पर काम कर रही है) की राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा करनी होगी।

5. वितरण कंपनी फीडर / डीटीआर समूहवार निम्नानुसार जानकारी प्रदान करेगी :-

बेस लाइन वर्ष के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 लिया जाना प्रस्तावित है। परंतु यदि कोविड-19 के कारण लगे lockdown से किसी बैमास के आँकड़े अत्यधिक डिस्टॉर्ट होते है, तो उस बैमास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आँकड़े लिए जा सकते है। एजेंसी के नियोजन हेतु विज्ञापन जारी करते समय एजेंसी की जानकारी हेतु प्रत्येक माह हेतु बेस लाइन इनपुट एवं बेस लाइन कलेक्शन के निम्नानुसार आँकड़े स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि एजेंसी द्वारा अपने लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके :-

- इनपुट एनर्जी - एलयू (मासिक)
- मांग - लाख रुपये में (मासिक)
- बेची गई इकाई - एलयू (मासिक)
- नकद एकत्रित - लाख रुपये में (मासिक)
- फीडर / डीटीआर समूह शट डाउन इकाइयाँ - एलयू/घंटे (मासिक)

6. विद्युत प्रहरी के दायित्व :-

विद्युत प्रहरी का मूल दायित्व चिन्हित फीडर / डीटीआर समूह के क्षेत्र में विद्युत चोरी को रोकना एवं नकद राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना है। इस हेतु उन्हे मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

6.1 अवैध विद्युत कनेक्शन / हुकिंग को विच्छेदित करना।

6.2 विद्युत बिल राशि न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित करना।

6.3 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर से टैंपरिंग रोकना।

6.4 प्रत्येक उपभोक्ता से चालू माह एवं पूर्व बकाये की राशि का संग्रहण करना।

6.5 बिल राशि का संग्रहण एजेंसी कंपनी द्वारा प्रदाय पॉस मशीन / Nishtha app के माध्यम से करते हुए उपभोक्ता को मशीन सृजित पावती प्रदान की जाएगी।

6.6 विद्युत कनेक्शन विच्छेदन / reconnection हेतु एजेंसी को स्वयं के व्यय से विद्युत लाइन पर कार्य करने हेतु कर्मचारी का overhead certification प्राप्त कर नियोजन करना होगा।

7. वितरण कंपनी का दायित्व :-

कंपनी द्वारा एजेंसी को उनके कार्य सम्पादन हेतु यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। चिन्हित फीडर / डीटीआर समूह मे कंपनी की मुख्य दायित्व निम्नानुसार होंगे:

7.1 उपभोक्ताओं के परिसर मे स्थापित मीटरो की रीडिंग लेकर प्रतिमाह बिल प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

7.2 नए सर्विस कनेक्शन प्रदान करना।

7.3 एजेंसी के अधिकृत कर्मचारियों को लाइन पर कार्य करने हेतु नियमानुसार परमिट प्रदान करना।

7.4 एजेंसी के अनुरोध अनुसार विधि अनुरूप डिजिटेन्स केस तैयार करना।

7.5 एजेंसी को नकद राजस्व संग्रहण हेतु पॉस मशीन (मशीन की सुरक्षा निधि जमा करने के उपरांत) एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध करना।

7.6 संधारण एवं FOC कार्य हेतु समस्त कार्यवाही करना।

8. <u>एजेंसी को देय राशि की गणना हेतु प्रक्रिया -</u>

एजेंसी को उसके द्वारा किए गए कार्य हेतु एक तय पारिश्रमिक न देते हुए एजेंसी के कार्यों के परिणामस्वरूप कंपनी को हुई बचत का एक अंश दिया जाएगा। एजेंसी को देय राशि का निर्धारण दो आधार पर किया जाएगा:

(i) चिन्हित फीडर / डीटीआर समूह में विद्युत आपूर्ति ट्रैजेटरी के अनुसार इनपुट कमी लक्ष्य के पश्चात हुई अतिरिक्त कमी के कारण हुई बचत का 40% अंश एजेंसी को देय होगा।

(ii) चिन्हित फीडर / डीटीआर समूह में नकद संग्रहण ट्रैजेटरी के अनुसार नकद संग्रहण लक्ष्य में वृद्धि के पश्चात हुए अतिरिक्त नकद संग्रहण का 40% अंश एजेंसी को देय होगा। किसी भी माह में नकद संग्रहण लक्ष्य के कमी को अगले माह के नकद संग्रहण लक्ष्य में जोड़ा जाएगा।

इस प्रकार प्रतिमाह एजेंसी को देय कुल राशि की गणना निम्न सूत्र अनुसार की जाएगी.

P = IP + CP

IP =[{(BLIX IM) - CMI} X APPC] X 0.4

CP = [CMC - (BLC X CM)] X 0.4

जहाँ

P = एजेंसी को किसी माह विशेष में कुल देय राशि (रुपये में)

IP = एजेंसी को किसी माह विशेष में इनपुट इकाइयों में कमी की कुल देय राशि (रुपये में) (गैर ऋणात्मक)

CP = एजेंसी को किसी माह विशेष में नकद संग्रह में वृद्धि की कुल देय राशि (रुपये में) (गैर ऋणात्मक)

BLI = फीडर / डीटीआर समूह बेस लाइन वर्ष के उस त्रैमास का औसत मासिक विद्युत आपूर्ति (यूनिट में)

CMI = फीडर / डीटीआर समूह में चालू माह की कुल इनपुट + आयात - (निर्यात + एचटी इनपुट + फीडर / डीटीआर समूह शटडाउन इकाइयां) (यूनिट में)

IM = फीडर / डीटीआर समूह में इनपुट यूनिट माहवार प्रदर्शन सूचकांक गुणक

महीना-1	महीना-2	महीना-3	अनुबंध के शेष माह हेतु प्रतिमाह
0.9 (पहले तीन महीनों का औसत)			0.80

Scanned with CamScanner

CM = फीडर / डीटीआर समूह में नकद राजस्व संग्रहण माहवार प्रदर्शन भुगतान गुणक

महीना-1	महीना-2	महीना-3	अनुबंध के भुगतान हेतु प्रतिभार
1 (पहले तीन महीनों का औसत)			1.1

एचटी इनपुट - एचटी इनपुट उस फीडर में सर्किल द्वारा गणना के अनुसार

आयात - फीडर की फेंसिंग के कारण आयात इकाई

निर्यात - फीडर की फेंसिंग के कारण निर्यात इकाई

फीडर / डीटीआर समूह शट डाउन इकाइयां - ब्रेकडाउन / नियोजित शटडाउन / आउटेज / उपकरण की विफलता के कारण इनपुट में किसी भी कमी को इनपुट बचत के रूप में नहीं माना जाएगा।

फीडर शटडाउन इकाइयां = चालू माह शटडाउन घंटे X उक्त फीडर / डीटीआर समूह का बेस लाइन वर्ष के विशिष्ट त्रैमास में औसत प्रति घंटा आपूर्ति (यूनिट में)

APPC = एमपीईआरसी एआरआर आदेश द्वारा अनुमोदित कंपनी क्षेत्र के अंतरगत औसत बिजली खरीद लागत (रुपये में)

CMC = चालू माह का नकद राजस्व संग्रहण (रुपये में)

BLC = बेस लाइन वर्ष के उस त्रैमास का औसत मासिक नकद राजस्व संग्रहण (रुपये में)

9. <u>अनुबंध निरस्तीकरण :-</u>

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक माह की सूचना के आधार पर बिना कोई कारण बताए, बिना किसी दायित्व के निम्नानुसार कारणों में से कोई भी कारण होने पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है :-

9.1 यदि एजेंसी लगातार 3 महीनों के लिए ट्रैजेक्टरी के अनुसार नकद संग्रहण लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहती है

9.2 यदि एजेंसी लगातार 2 महीने के लिए ट्रैजेक्टरी के अनुसार इनपुट कमी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहती है (यह पहले दो महीनों के लिए लागू नहीं होगा)

9.3 यदि कोई अप्रत्याशित घटना (लॉकडाउन, महामारी प्रसार, दंगे, बाढ़ या कोई अन्य स्थिति) है जिसके कारण सामान्य संचालन संभव नहीं है, तो डिस्कॉम के पास समझौता ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार है और सुरक्षा जमा अंतिम रूप से वापस कर दी जाएगी।

9.4 यदि सरकारी नीति में किसी भी परिवर्तन के कारण एजेंसी द्वारा संचालन विखंडनीय नही है तो डिस्कॉम एजेंसी के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है और डिस्कॉम एजेंसी के संचालन के अंतिम दिन तक का अंतिम बिल तैयार करेगा।

9.5 डिस्कॉम द्वारा नियुक्त एजेंसी या एजेंसी के कर्मचारी, डिस्कॉम उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, चोरी, धोखाधड़ी आदि में शामिल होने सहित भ्रष्टाचार में शामिल

नही होंगे। एजेंसी कदाचार में शामिल होने के शून्य मामले को सुनिश्चित करेगी। इस मामले में, डीकॉम एजेंसी के साथ समझौते को समाप्त कर सकता है और घटना की प्रकृति के आधार पर सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है

9.6 यदि एजेंसी अनुबंध की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना काम शुरु करने में विफल रहती है।

10. योजना का अनुश्रवण :-

10.1 फीडर / डीटीआर समूह स्तर पर डिस्कॉम इनपुट मॉनिटरिंग करेगा।

10.2 डिस्कॉम द्वारा दैनिक आधार पर नकद प्रेषण की निगरानी होगी।

10.3 क्षेत्र की फेंसिंग (पीओएस मशीन में केवल चयनित फीडर / डीटीआर समूह के उपभोक्ताओं का डेटा होगा)।

10.4 डिस्कॉम पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी करेगा।

11. विद्युत प्रहरी का स्थाई रोजगार हेतु कोई अधिकार नहीं होगा :-

11.1 विद्युत प्रहरी को इस योजना के अंतर्गत अनुबंध किए जाने पर विद्युत वितरण कंपनी के किसी भी स्थाई / अस्थाई या संविदा या अन्य पदों पर लाभ पाने का कोई अधिकार या छूट की पात्रता या प्राथमिकता प्राप्त नहीं होगी।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner